

क्र. सं.	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
	7/1/25	पत्रावली पेश हुई। अतिरिक्त नोट आप कन्डोलेंस किये जा के ध्यानही नहीं की जा सकी। कारण न्यायिक अन्य सतत कार्य में व्यस्त हैं। पी०ओ० साहू पूर्वानुसार दिनांक 13/1/25 को पत्रावली का पेश
	13/1/25	पत्रावली पेश हुई। अतिरिक्त नोट आप कन्डोलेंस किये जा कार्यवाही नहीं की जा सकी। कारण न्यायिक अन्य सतत कार्य में व्यस्त हैं। पी०ओ० साहू पूर्वानुसार दिनांक 21/1/25 को पत्रावली का पेश
	21/1/25	पत्रावली पेश हुई। अतिरिक्त नोट आप कन्डोलेंस किये जा कार्यवाही नहीं की जा सकी। कारण न्यायिक अन्य सतत कार्य में व्यस्त हैं। पी०ओ० साहू पूर्वानुसार दिनांक 11/2/25 को पत्रावली का पेश
	11/2/25	पत्रावली पेश हुई। नवील उभयपक्षी उग्र वकील प्रतिवादी ने दस्तावेजों का प्रेषण आ. सि. ए. नवील उभयपक्षी को आ. पत्र 07.11.24 पर आगामी पेश पर आ. पत्र रूप से करवा कर पत्रावली दिनांक 11/2/25 को पेश है। उप-खण्ड अधिकारी जयपुर (द्वितीय)
	17/2/25	पत्रावली पेश हुई। वकीलवादी अनुपासिन वकीलवादी को आ. पत्र आवाज जिला जयपुर वकीलवादी अनुपासिन। आ. वादी को वाद अदम धारिणी व अदम पेंसरी में श्वारिज किया जात है। पत्रावली नमूने में काम होकर बाद नवील उग्र दफतर से सुनाया गया। उप-खण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

12/1/24

₹ 200

₹ 200

Reader
At examine
report

न्यायालय गान्धीय उपखण्ड अधिकारी द्वितीय सांगानेर जयपुर

राजस्थान वाद संख्या :- 105 / 2023

1. पप्पू पुत्र रामगोपाल

2. रामजीलाल पुत्र चन्दालाल
समस्त जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम गंवार ब्राह्मणान तहसील सांगानेर
जिला जयपुर।

बनाम

1. गणेशनारायण पुत्र जगन्नाथ शर्मा निवासी ग्राम रामचन्द्रपुर
की ढाणी, रीको एरिया, सीतापुरा जयपुर।

2. गीता देवी पत्नी श्री बिहारी लाल निवासी ग्राम वाटिका
सांगानेर जिला जयपुर।

3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सांगानेर तहसील
जिला जयपुर।

4. अरुण कुमार पुत्र चन्दालाल

5. ओमप्रकाश पुत्र रामगोपाल

6. नारायण पुत्र राधेश्याम

7. श्योजीराम पुत्र सुन्दर लाल

8. सुनील पुत्र रामगोपाल

9. हनुमान पुत्र राधेश्याम
समस्त जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम गंवार ब्राह्मणान
जिला जयपुर।

दावा अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान

अधिनियम, 1955 स्थाई निपट

रामजीलाल